न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA2022-386Ju2022-145 Ruparam Vs Ramchandra etc

रुपाराम पुत्र केसुराम जाति जाट, निवासी- ग्राम जाटीपुरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. रामचन्द्र पुत्र केसुराम
02. मोहनराम पुत्र केसुराम
03. कानाराम पुत्र केसुराम
    जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम जाटीपुरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
04. नरपतराम पुत्र केसुराम
05. फुलचन्द पुत्र केसुराम
06. अमरसिंह पुत्र केसुराम
    जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम जाटीपुरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
07. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा फलोदी।
08. शाखा प्रबंधक दी सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक शाखा फलोदी।
09. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर फलौदी दिनांक 22 मार्च 2022 राजस्व वाद संख्या 42/2021 रामचन्द्र व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 9

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 16 दिसंबर, 2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2021 रामचन्द्र व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 01 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 289/2 रकबा 175 बीघा के संबंध में पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2022 के जरिये वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान में सुनवाई करने के लिए नियत ही नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण के सम्मन भेजने का आदेश ही पारित नहीं किया या तो प्रतिवादीगण को प्रकरण के तारीख पेशी की जानकारी किस आधार पर हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक, तीन व चार ने आपसी दुरभिसंधि करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित करवा दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय प्रतिवादीगण के सम्मन जारी कर तलबी हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.12.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी

को वास्ते तामील मुकर्रर की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का दिनांक 16.12.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम सांवरिज में था। इस प्रकार सम्मन जारी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गये सम्मन प्राप्त नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के सम्मन किस तारीख को जारी किये एवं किस तारीख को सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए, किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी तथा उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिंदु परिवार की सम्पति साबित करने के लिए वादीगण ने किसी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूत ही प्रस्तुत नहीं किये। वादीगण का वाद बिना साक्ष्य सबूत डिक्री नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है। राजस्व न्यायालयों पर पंजीकृत दस्तावेज बाध्यकारी होता है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत दस्तावेजात के विरूद्ध राय देने का क्षेत्राधिकार नहीं होता है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट के कथन है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की अनुपालना में राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने दिनांक 20. 08.2022 को अपीलांट को बताया कि न्यायालय ने हमारे पक्ष में फेसला कर दिया है एवं फेसले के आधार पर राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम दर्ज करवा दिया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के फेसले की नकल बताई तो अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में फेसले

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन किया एवं दिनांक 23.08.2022 को फेसले की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई तो अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के फैसले की जानकारी हुई। जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2022 को खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक रूप से तामील करवाये जाने के बावजूद भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के पिता द्वारा खरीदी जाकर उनके तीन पुत्रों के नाम से करवायी गई। तब शेष तीन पुत्रों ने दावा किया, जिसमें राजीनामा पेश हुआ एवं सभी पक्षकार बराबर-बराबर हिस्से के लिए सहमत हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अपीलांट को भेजे गये तामील सुदा सम्मन की प्रति के मुताबिक ''आसामी घर पर नहीं मिला। दो मौतबिरान् की उपस्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी

एक फर्द आबाद मकान पर चस्पा की गई।'' दो मौतबिरानों के बारे यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनका अपीलांट के क्या संबंध है तथा मौतबिरान संख्या दो का नाम भी स्पष्ट नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सम्मन पर विचारण न्यायालय की मोहर एवं जारी कर्ता की मोहर का अभाव पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय में अपीलांट पर सम्यक तामील करवाया जाना नहीं पाया जाता है। लिहाज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2072-2075 ग्राम बैंगटी खुर्द तहसील फलोदी के मुताबिक वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 289/2 रकबा 28.3280 हैक्टेयर में अपीलांट का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर उसके 1/3 हिस्से के स्थान पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये 1/7 हिस्सा किया जाना पाया जाता है। राजीनामा पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं होने से विधिक रुप से राजीनामा मान्य नहीं है। जहां तक वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिंदु परिवार की सहदायगी की संपति से खरीद किये जाने का प्रश्न है, उक्त तथ्य को जरिये साक्ष्य सिद्ध किया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट को सुनवाई/जवाब प्रस्तुति, तनकीयात कायमी एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी

पारित किया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 42/2021 रामचन्द्र व अन्य बनाम नरपतराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22 मार्च 2022 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर वाद विचारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर